बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सत्र 2026–2028 के लिये राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं उस संस्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये तृतीय चयन सूची (Third Selection List) के संबंध में आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त इण्टरस्तरीय शिक्षण संस्थानों में सत्र 2026–2028 के लिए इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली के माध्यम से नामांकन हेतु समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 129/2026 के द्वारा दिनांक 11.06.2026 को तृतीय चयन सूची (Third Selection List) जारी किये जाने की सूचना दी गयी थी। अपरिहार्य कारणवश अब **दिनांक 15.06.2026** को तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी। जिसके आधार पर **दिनांक 15.06.2026 से 18.06.2026 तक** नामांकन लिया जायेगा।

2. तृतीय चयन सूची (Third Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन **दिनांक 15.06.2026 से 18.06.2026 तक** आवंटित शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना है। अतः संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS Website के संस्थान Login में **दिनांक 15.06.2026 से 18.06.2026 तक** निश्चित रूप से प्रतिदिन Update करते रहेंगे। दिनांक 15.06.2026 के नामांकित विद्यार्थियों का Updation अधिकतम दिनांक 16.06.2026 तक, दिनांक 16.06.2026 के नामांकित विद्यार्थियों का Updation अधिकतम दिनांक 17.06.2026 तक, दिनांक 17.06.2026 के नामांकित विद्यार्थियों का Updation अधिकतम दिनांक 18.06.2026 तक एवं दिनांक 18.06.2026 के नामांकित विद्यार्थियों का Updation अधिकतम दिनांक 19.06.2026 तक करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य है ताकि संबंधित विद्यार्थी, जिसका नामांकन संस्थान ने ले लिया है, उसकी सीट OFSS Wesbite में भरी हुई मानी जाये एवं तृतीय एवं अंतिम चयन सूची के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु रिक्त सीटों की सूची OFSS Website के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके।

3. OFSS के माध्यम से तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन से संबंधित पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 129/2026 के शेष शर्तें एवं निदेश यथावत् रहेंगे।

4. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612–2230009/0612–2230051 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 131/2026

संयुक्त सचिव (OFSS)